न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

प्रकरण सं0 14/16

दिनांकः 06.12.2016

अनवान :– राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर।

– अपीलांट

बनाम्

केशरनाथ पुत्र हेतुनाथ जाति सिद्ध उम्र 46 साल निवासी पवांरान पुलिस थाना भानीपुरा जिला चुरू।

–रेस्पोडेन्ट

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करने।

उपस्थितः– राजकीय अधिवक्ता

श्री सुशील कुमार वर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 24.05.2018

थानाधिकारी पुलिस थाना नोहर ने अभियोग संख्या 288/13 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में जब्त किये गये अवैध डीजल को धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत निस्तारण हेतु इस्तगासा प्रस्तुत किया।

सुक्ष्म रूप से इस्तगासा के तथ्य इस प्रकार से हैः–

दिनांक 01.06.2013 के वक्त 05.15 एएम पर वृताधिकारी नोहर ने मय स्टॉफ के साहवा बाईपास तिराहे पर जाकर नाकाबन्दी की वरवक्त नाकाबन्दी समय 12.30 पीएम पर ऐलनाबाद हरियाणा की तरफ से एक पिकअप आई जिसको इशारा देकर रूकवाया। जिसके नं. आर जे 07 जीए 0864 की प्लेट लगी हुई मिली। चालक का नाम पता पुछा तो उसने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपना नाम केशरनाथ पुत्र हेतुनाथ जाति सिद्ध उम्र 46 साल निवासी राजासर पुलिस थाना भानीपुरा जिला चुरू बताया। गाडी में भरे सामान बाबत पुछा तो 8 ड्रम व 2 जरिकेन डीजल के भरे होना बताया जो ऐलनाबाद से एक पेट्रोल पम्प से तस्करी कर चोरी छिपे गावों में ले जाकर बेचने के लिए ले जाना बताया। ड्रमों व जरिकेन को चैक किया तो डीजल से भरे हुये मिले। जिनमें से 6 छोटे ड्रमों में 190–190 लीटर डीजल व दो बडे ड्रमों में 200–200 लीटर डीजल व जरिकनों में 45–45 लीटर डीजल कुल 1630 लीटर डीजल भरा हुआ मिला। केशरनाथ द्वारा डीजल परिवहन करना कब्जा में रखना बाबत परमिट लाईसेन्स पुछा तो कुछ भी नही होना बताया। इस प्रकार केशरनाथ का अवैध रूप से 1630 लीटर डीजल हरियाणा राज्य से बेचने के लिए लेकर आना व कब्जा में रखना जुर्म धारा राज. पेट्रो. उत्पादक अनुज्ञा पत्र एवं नियंत्रण आदेश 19990 का स्पष्ट उल्लंघन कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 ईसीएक्ट का दण्डनीय अपराध पाये जाने पर सभी 8 ड्रमों व 2 जरिकनों को मय पिकअप को कब्जा पुलिस मे लिया जाकर डीजल अलग निकाल कर बतौर सेम्पल बोतल में भर कर सील किया गया। पिकअप में से आर सी को जब्त किया गया व अप्रार्थी केशरनाथ को जुर्म से अवगत करवाकर गिरफतार किया गया। प्रकरण की जांच छितरमल उ.नि के सुपुर्द की गई। दौराने तफतीश अप्रार्थी के विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ई.सी. एक्ट का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया।

मुकदमा में बरामदशुदा डीजल मालखाना में रखा हुआ है। डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण कभी भी कोई हादसा हो सकता है अतः डीजल का निस्तारण धारा 6–ए अन्तर्गत करने हेतु निवेदन किया।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त केशरनाथ को तलब किया गया। जब्तशुदा डीजल तेल का अंतरिम निस्तारण कर जिला रसद अधिकारी को जब्तशुदा 1630 लीटर डीजल का अंतरिम निस्तारण के आदेश दिए गए। प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाई जावे। जिला रसद अधिकारी द्वारा अंतरिम निस्तारण कर जब्तशुदा डीजल का जरिये निलामी विक्रय कर विक्रय से प्राप्त राशि जरिये चालान नंबर 588338 दिनांक 30.10.2013 राजकोष में जमा करवा दिए गए। जब्तशुदा पिकअप गाडी जमानत पर सशर्त सुपुर्दगीदार केशरनाथ को देने के आदेश दिए गए है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। जबाव इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसमें पुलिस के आरोपों को निराधार व मिथ्या बताया। जबकि प्रार्थी 2500 लीटर डीजल लाने के लिए स्वतंत्र था। अतः प्रकरण की कार्यवाही निरस्त कर जब्तशुदा डीजल प्रार्थी को वापिस लौटाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में इस्तगासा में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त हरियाणा से डीजल लाकर राजस्थान में विक्रय करता है। मौके से अभियुक्त के पास में 1630 लीटर डीजल मय ड्रम था जिसे जब्त किया गया, जबकि राजस्थान आवश्यक वस्तु अधि. के अन्तर्गत एक व्यकित एक समय में अधिकतम अपने पास 2500 लीटर डीजल रख सकता है, जबकि अभियुक्त के पास में 1630 लीटर डीजल था जो राज. पेट्रोलियम उत्पादक अनुज्ञा पत्र एवं नियत्रण आदेश 1990 के अन्तर्गत उसके पास डीजल के लिए किसी प्रकार की अनुज्ञा पत्र या आदेश नही था। अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का अपराध साबित है। जब्त किये गये डीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध पुलिस द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या व निराधार है। अप्रार्थी ग्राम भानीपुरा तहसील चुरू के रहने वाला है। अप्रार्थी के पास 1630 लीटर डीजल था जिसे लेकर वह अपने ग्राम जा रहा था क्योकि अप्रार्थी काश्तकार पेशा व्यकित है व काश्त के लिए ट्रेक्टर आदि रखता है। इसलिए उसे डीजल की आवश्यकता रहती है। अप्रार्थी 2500 लीटर डीजल लाने ले जाने के लिए स्वतंत्र था। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत रणजीत बनाम राजस्थान राज्य में स्पष्ट निर्धारित किया गया है कि खुदरा में एक व्यक्ति 2500 लीटर डीजल एक समय में रख सकता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दो कण्ट्रोल आदेश वर्ष 1999 व 2005 में जारी किये जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990 में जारी किया गया कण्ट्रोल आदेश राज्य अधिनियम पर केन्द्रीय अधिनियम प्रभावी होगा। इस संबंध मे वकील अप्रार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय अरविन्द बनाम स्टेट दिनांक 24.10.2017 के उद्धरण प्रस्तुत किये जिसमें स्पष्ट है कि परिवहन के दौरान डीजल जब्त किया गया तथा वाहन में माल ले जाना भण्डारण नही माना जावेगा। केन्द्रीय सरकार कण्ट्रोल आर्डर अधिभावी होगा जो एक बार में एक व्यक्ति को 2500 लीटर की अनुमति देता है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी आवश्यक वस्तु अधि की धारा6 से दोषी नही है। उसके पास से प्राप्त डीजल कण्ट्रोल आर्डर से अधिक नही था 2500 लीटर डीजल रखने का पात्र था जबकि उसके पास 1630 लीटर डीजल था। अतः कार्यवाही इस्तगाशा आवश्यक वस्तु अधि. की धारा 6–ए के अन्तर्गत जब्त किये गये डीजल को अप्रार्थी को वापिस लौटाते हए इस्तगाशा ड्रोप फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपुर्वक अध्ययन किया। अप्रार्थी के पास 1630 लीटर डीजल था जिसे वृताधिकारी ने जब्त किया था। आवश्यक वस्तु अधिनिमय 6–ए के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रतिबंध अनुसार 1000 लीटर से अधिक डीजल एक व्यक्ति नही रख सकता था, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अरविन्द आदि बनाम स्टेट में पारित निर्णय व केन्द्रीय सरकार के कण्ट्रोल आदेश वर्ष 2005 में जारी किया जो राज्य सरकार पर अधिभावी होगा। जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि एक बार में एक व्यक्ति 2500 लीटर डीजल रख सकता है।

अतः अप्रार्थी से जब्त किया गया डीजल 1630 लीटर था, जो केन्द्रीय सरकार के कण्ट्रोल आदेश के अनुसार निर्धारित क्षमता से कम था। इस प्रकार अप्रार्थी के पास जब्त किया गया डीजल 1630 लीटर डीजल प्रतिबंधित नही होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए के अन्तर्गत कार्यवाही चलने योग्य नही होने से ड्रोप की जाती है। अप्रार्थी से जब्त किये गये डीजल को इस कार्यालय के आदेश अनुसार अन्तरिम निस्तारण जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जाकर डीजल को जरिये निलामी विक्रय किया जाकर निलमी से प्राप्त राशि को जरिये चालान सं. 588338 दिनांक 30.10.2013 से जमा बैंक करवा दी गई है। अतः डीजल की राशि अप्रार्थी को लौटाने के आदेश दिए जातें हैं।

इस निर्णय का किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में किसी प्रकार का प्रभाव नही होगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नोहर (हनुमानगढ)